कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 332/2024/2496/सात–न्याय–9(बजट)–2024 दिनांक 29.10.2024 तथा माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 03.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में के द्वारा जनपद न्यायाधीश व जज कालोनी की बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु बजट आवंटित किया गया है। बाउन्ड्रीवाल निमार्ण होने से पूर्व उक्त परिसरों में बने समस्त पुरानी बाउन्ड्रीवाल तोड़कर मलबे/ईटों की नीलामी की जानी है।

नीलामी प्रक्रिया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति के अध्यक्ष श्रीमती मीता सिहं, विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी एक्ट), मैनपुरी सदस्यगण श्री जयप्रकाश, विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), मैनपुरी, श्री स्वपनदीप सिंघल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5, मैनपुरी की उपस्थिति व निर्देशन में दिनांक 10.12.2024 को सांय 04.00 बजे से जनपद न्यायालय मैनपुरी के केन्द्रीय सभागार में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, स्थान व समय पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र(आधार कार्ड, वोटर आई.डी. इत्यादि) के साथ उपस्थित हो।

नीलामी की शर्ते

1. उक्त मलबे/ईंटो की नीलामी की न्यूनतम बोली 3,52,000/– (तीन लाख बावन हजार रूपये) निर्धारित की गयी है।
2. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 10,000/– रूपये जमा करने के पश्चात ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
3. जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
4. जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा जमा जमानत धनराशि को उक्त धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा शेष प्रतिभागी की जमानत धनराशि उन्हे उसी कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अन्तिम रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा।
6. नीलामी स्वीकृत होने पर नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा जमानत धनराशि के अतिरिक्त अन्तिम बोली की शेष धनराशि को एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि को न जमा करने पर नीलामी अस्वीकृत करते हुये उक्त प्रतिभागी की जमानत धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा उपरोक्त जनपद न्यायाधीश व जज कालोनी की बाउन्ड्रीवाल को स्वयं के खर्चे पर तुड़वाकर उसमें से निकली हुयी ईंटे/मलवे ले जाना होगा।

8. नीलामी प्राप्तकर्ता नीलामी तिथि के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर उक्त मलबे/ईंटो को अपने स्वयं के खर्चे पर निर्धारित स्थान से ले जाना होगा।

9. नीलामी प्राप्तकर्ता को नीलाम किये मलबे/ईंटो की सुपुर्दगी की जायेगी।

10. उपरोक्त मलबे/ईंटो का दिनांक 03.12.2024 से किसी भी कार्य दिवस पर (10.00 बजे से 04.00 बजे तक) नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर निरीक्षण किया जा सकता है।

Swapandeep Singhal.
(स्वपनदीप सिंघल)
सदस्य/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–5, मैनपुरी

Jayprakash
(जयप्रकाश)
सदस्य/
विशेष न्यायाधीश
(ई.सी.एक्ट) मैनपुरी

Mitasingh
(मीता सिंह)
अध्यक्ष/
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टीएक्ट) मैनपुरी

<u>प्रतिलिपि निम्न स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये</u>

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, मैनपुरी।
2. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, मैनपुरी।
3. नोटिस बोर्ड, विकास भवन, मैनपुरी।
4. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका परिषद
5. सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाये।
6. सिस्टम ऑफीसर को जनपद न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित हो।

Swapandeep Singhal.
(स्वपनदीप सिंघल)
सदस्य/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–5, मैनपुरी

Jayprakash
(जयप्रकाश)
सदस्य/
विशेष न्यायाधीश
(ई.सी.एक्ट) मैनपुरी

Mitasingh
(मीता सिंह)
अध्यक्ष/
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टीएक्ट) मैनपुरी